न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 05 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 146

अनवान

1. शिवलाल पिता कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 04.09.2025

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 702 में अंकित आराजी संख्या 1646 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 1647 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1648 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 1649 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1650 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 1.67 है0 भूमि दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2076–2079 पेश है।
2. प्रार्थी के उक्त कृषि आराजियात की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम विरासत नामान्तरण में गांच में प्रचलित उप नाम भगवतीलाल पिता कैलाश चन्द्र शर्मा अंकन है जबकि प्रार्ीी का वास्तवित नाम शिवलाल पिता कैलाशचन्द्र शर्मा है, प्रार्थी की कृषि आराजियात की जमावन्दीयों में प्रार्थी का गलत नाम लिखा होने से प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात पर मिलने वाली राजकीय सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है और दुविधाओं का सामना कर रहा है। प्रार्थी के अन्य सभी राजकीय दस्तावेजो जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड में प्रार्थी का नाम शिवलाल ही दर्ज है जो सही है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नान्दशा के राजस्व खाता संख्या 702 में अंकित आराजियात में भगवतीलाल पिता कैलाशचन्द्र शर्मा के बजाय के बजाय शिवलाल पिता कैलाशचन्द्र शर्मा का नाम से दुरस्ती कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) रायपुर

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

4. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी शिवलाल पिता कैलाशचन्द्र ब्राहम्ण ग्राम नान्दशा के आराजी संख्या 1646, 1647, 1648, 1649, 1650 किता 5 रकबा 1.61 है0 भूमि में भगवतीलाल के बजाय शिवलाल दर्ज कराना चाहता है तिसमें बताया कि प्रार्थी के पिता के विरासत का नामान्तरण 1334 ग्राम नान्दशा का दर्ज हुआ असमें भगवतीलाल पिता कैलाशचन्द्र ब्राहम्ण दर्ज हो गया परन्तु अन्य सभी में नाम शिवलाल होने से राजस्व रेकार्ड में भी भगवतीलाल के बजाय शिवलाल कराना चाहता है। प्रार्थी के संलग्न आधारभूत दस्तावेज यथा पैनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि के आधार पर ग्राम नान्दशा के खसरा संख्या 1646 से 1650 तक कुल किता 5 कुल रकबा 1.61 है0 भूमि में भगवतीलाल पिता कैलाशचन्द्र ब्राहम्ण के बजाय शिवलाल पिता कैलाशचन्द्र ब्राहम्ण दर्ज कराना उचित प्रतीत होता है।

5. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न नामान्तरण संख्या 1334 की प्रतिलिपि में प्रार्थी का नाम भगवतीलाल ही अंकित है जो लिपिकीय त्रुटी में नही आता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटी नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिविरूद्व होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् खारीज किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी सक्षम न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा